संख्या:1205 /XXIV-3/15/01(17)/2014

प्रेषक,

महिमा,
उप सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

सचिव,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद
समुदाय केन्द्र प्रीति विहार,
नई दिल्ली।

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–3 देहरादून, दिनांक: 07 सितम्बर, 2015

विषय:– ग्रीन फील्ड पब्लिक स्कूल, जाखन देवी, अल्मोड़ा को सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सैकेण्डरी एजूकेशन (सी0बी0एस0ई0), नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि ग्रीन फील्ड पब्लिक स्कूल जाखन देवी अल्मोड़ा को सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सैकेण्डरी एजुकेशन (सी0बी0एस0ई0), नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण–पत्र दिये जाने में राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन आपत्ति नहीं है:–

(क) शिक्षण संस्था द्वारा सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सैकेण्ड्री एजुकेशन, नई दिल्ली से सम्बद्धता प्राप्त करने हेतु उपर्युक्त बोर्ड द्वारा निर्धारित शर्तो/मानकों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।

(ख) विद्यालय की पंजीकृत सोसाइटी का समय–समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।

(ग) विद्यालय की प्रबन्ध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित सदस्य होगा।

(घ) विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के मेधावी बच्चों के लिये सुरक्षित रहेंगें और उनसे उत्तराखण्ड माध्यमिक शिक्षा परिषद/ बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक नहीं लिया जायेगा।

(ड़) संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की सम्बद्धता सेन्ट्रल बोर्ड आफ सेकेण्ड्री एजूकेशनल, नई दिल्ली/कौंसिल फार इण्डियन सर्टीफिकेट एक्जामिनेशन, नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उक्त परीक्षा परिषदों से सम्बद्धता प्राप्त होने की तिथि से परिषद से मान्यता और राज्य सरकार से अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेंगे।

(च) संस्था के शिक्षण तथा शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेंगे।

(छ) विद्यालय/संस्था में कार्यरत कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनायी जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों को अनुमन्य सेवा निवृत्त लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे।

(ज) राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगें, संस्था उनका पालन करेगी।

क्रमशः...2...

(झ) विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्रों/पंजिकाओं में रखा जायेगा।

(ट) उक्त शर्तो में, बिना शासन के पूर्वानुमोदन के, कोई परिवर्तन/संशोधन/परिवर्द्धन नहीं किया जायेगा।

2. भविष्य में यदि यह पाया जाता है कि निरीक्षण आख्या/प्रस्ताव त्रुटिपूर्ण है यथा नियमों के अधीन नहीं है तो इसकी जवाबदेही/उत्तरदायित्व निदेशक एवं नियन्त्रक अधिकारी/मुख्य शिक्षा अधिकारी का होगा।

3. उक्त विद्यालय द्वारा भूमि उपयोग/निर्माण संबंधी सभी नियमों/आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। यदि उक्त संस्था/स्कूल का किसी भी भूमि पर कोई अवैध कब्जा आदि पाया जाता है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण–पत्र वापस ले लिया जायेगा।

4. संस्था/स्कूल द्वारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2011 में उल्लिखित प्राविधान कि 25% सरकार प्रायोजित कमजोर एवं उपेक्षित वर्ग के छात्रों को निजी शिक्षण संस्थानों में आवश्यक रूप से शिक्षा दी जायेगी, का भी पूर्ण रूप से पालन सुनिश्चित किया जायेगा।

5. संस्था/स्कूल द्वारा प्रत्येक वर्ष U-DISE (Unified District Information System In Education) में संबंधित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में जमा किया जाना अनिवार्य होगा

6. उपरोक्त समस्त प्रतिबन्धों/शर्तों का पालन करना संस्था के लिये अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की चूक या शिथिलता बरती जा रही है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण–पत्र वापस ले लिया जायेगा।

भवदीया,

(महिमा)
उप सचिव

पृष्ठांकन संख्या: 1205 /XXIV-3/15/01(17)/2014 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:—

1. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून ।
2. जिलाधिकारी अल्मोडा।
3. अपर शिक्षा निदेशक, कुमाऊं मण्डल, नैनीताल।
4. मुख्य शिक्षा अधिकारी, अल्मोडा।
5. प्रधानाचार्य, ग्रीन फील्ड पब्लिक स्कूल जाखन देवी, अल्मोडा।
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(महिमा)
उप सचिव